**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर**
**जिला चित्तौडगढ**
**पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या:– 12/2021**
**दायर दिनांक:– 25.02.2021**
**निर्णय दिनांक:– 07.04.2021**

**उनवान**

1. **कालुलाल उर्फ कालुलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. **रामलाल पिता शंकर जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
2. **भैरू पिता रामलाल जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
3. **बोथलाल पिता हरीराम जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
4. **किशनलाल पिता हरीराम जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
5. **उगम बाई पत्नी माधुलाल जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
6. **गणेश पिता नगजीराम जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
7. **बद्रीलाल पिता नगजीराम जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
8. **रामेश्वरलाल पिता नगजीराम जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
9. **भैरूलाल पिता रामलाल जाति जाट निवासी–रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।**
10. **श्रीमान भूमिधारीजी तहसीलदार साहब भूपालसागर ।**

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**–:निर्णय:–**

**प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बावत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।** वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रावतिया पटवार हल्का रावतिया तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 849 व 850 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 15:34:23 IST
Reason: SelfAttested

07.4.21

**(सुखाराम पिण्डेल)**
**सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर**

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौडगढ

c:\Users\Administrator\Desktop\disicion case\128\निर्णय\pathrgadi formate.docx

Scanned with CamScanner